न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 20/2021

1. मुरारी उर्फ मुरली मनोहर मीना पुत्र श्री जन्सी जाति मीना निवासी ग्राम सीतापुरा तहसील दौसा जिला दौसा ।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 24.03.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मुरारी मु0नं0 54/2020 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री हरचंदा मीना, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 29.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने दिनाक 24.3.2021 को ग्राम सीतापुरा तहसील दौसा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 418 रकबा 0.05 है0 पर पुख्ता मकान व दीवार बनाकर, पत्थर डालकर व बाडा बनाकर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का चावंडेडा ने अपीलांट के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांट ने ग्राम सीतापुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 418 418 रकबा 0.05 है0 पर पुख्ता मकान व दीवार बनाकर, पत्थर डालकर व बाडा बनाकर अतिचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलांट को सुनवार्द हेतु कोई नोटिस नही मिला। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की बिना तामील हुए एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हलका द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में झूंठी मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलांट को बिना वजह परेशान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये बिना पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नही है। पटवारी हलका की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नही हुई है। साथ ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति पर अपीलांट के दादा की अंगूठा निशानी अंकित है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2077 में खसरा नंबर 418 रकबा 0.05 है0 पर पुख्ता मकान व दीवार बनाकर, पत्थर डालकर व बाडा बनाकर अतिचार करना बताया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल खसरा परिवतनशील पी–14 में भी संवत 2075 में चरागाह भूमि खसरा नंबर 418 पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करना अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर पुख्ता मकान बाडा आदि बनाकर अतिक्रमण किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2021 विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2021 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा